

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्रोसो/11/19..... ता0रजु. 26.11.19... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

सिया फुल रामपत्तार

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मालुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मालुका के खसरा नम्बर 779, 781, 782, 783 रकवा 0.80, 0.30, 0.130 हेक्टर किस्म भूमि सिवाशन श्री. उ. राणा, श्री. उ. श्री पर सम्वत 2076 में श्री सिया फुल रामपत्तार मुक्ति राम कपुरा मालुका तह0 बयाना ने 0.16, 0.08, 0.08, 0.08 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 779, 781, 782, 783 रकवा 0.16, 0.08, 0.08, 0.08 हेक्टर वाके ग्राम कपुरा मालुका से वेदखल किया जाता है। लगान 10.60 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 0.04 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फरका को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ वेदखली बावत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020

को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री. उ. राणा, श्री. उ. श्री

दिनांक 4/1/20

रकवा 80/

रजिस्टर नं. 04 के पृष्ठ नं. 28

रजिस्टर नं. 80/

रजिस्टर नं. 04 के पृष्ठ नं. 28

तहसीलदार
बयाना